रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272481
SG-DL-E-12052026-272481

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]	दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 42
No. 128]	DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948	[N. C. T. D. No. 42

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस–I/स्थापना शाखाः गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 मई, 2026

फा. सं. 1/2/2026/गृ0पु0–I/स्था0/1413–1419.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1)(यू) एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28 जून, 2024 (फा. संख्या यू–11030/3/2024–यूटीएल) की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 2506(ई), के साथ पठित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, नशीले पदार्थों और मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश देते हैं और घोषणा करते हैंः

1. एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन का गठनः

(1) इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अधीन "पुलिस स्टेशन एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स (पीएस–एएनटीएफ)" नामक एक पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाती है।

(2) पुलिस स्टेशन एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स (पीएस–एएनटीएफ) का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक विस्तारित होगा।

(3) उक्त पुलिस स्टेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1)(यू) के अन्तर्गत परिभाषित पुलिस स्टेशन की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी कर्तव्यों का पालन करेगा, जिसमें निम्नलिखित शक्तियां भी शामिल हैं:

(क) नशीले पदार्थों और मनः प्रभावी पदार्थों से संबंधित अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना और उनकी जांच करना;

(ख) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों की जांच करना;

(ग) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय V–ए और अन्य लागू कानूनों के अन्तर्गत वित्तीय जांच करना, अपराध की आय का पता लगाना और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की कुर्की या ज़ब्ती करना; और

(घ) नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के संबंध में ऐसे प्रवर्तन, निवारक, जांच और खुफिया संबंधी कार्यों को करना, जैसा कि कानून के अनुसार निर्दिष्ट किया जा सकता है।

2. पुलिस स्टेशन एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स (पीएस–एएनटीएफ) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण में कार्य करेगी और इस अधिसूचना के अनुलग्नक–I में निर्दिष्ट संरचना के अनुसार या दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित के अनुसार इसमें कर्मचारी और संगठन होंगे।

3. पुलिस स्टेशन एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स (पीएस–एएनटीएफ) के कार्य स्थल को दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा और इस बीच यह दिल्ली पुलिस के मौजूदा एएनटीएफ भवन से संचालित होगा।

4. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व संबंधित कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत की गई किसी भी जांच, कार्यवाही या कार्रवाई की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रमेश कुमार, उप सचिव (गृह)

अनुलग्नक–1

एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) पुलिस स्टेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1)(यू) में यथापरिभाषित पुलिस स्टेशन की शक्तियों का प्रयोग करेगा। निरीक्षक रैंक के एक अधिकारी को स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसकी सहायता पुलिस कर्मी करेंगे और उक्त पुलिस स्टेशन के कार्यात्मक घटक निम्नलिखित हैं:

एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) पुलिस स्टेशन					
	उप–निरीक्षक	**सहा0उप–निरीक्षक**	**प्रधान सिपाही**	**सिपाही**	**कुल**
पाठक स्टाफ	1	–	1	1	3
ड्यूटी ऑफिसर और डीडी लेखक	–	3	–	3 –महिलाएं	6 (03 –महिलाएं)
सीसीटीएनएस–ऑपरेटर	–	–	–	2	2
मलखाना (जीपी)	1	–	3	1	5
मलखाना (सीपी)	1	–	6	1	8
रिकॉर्ड शाखा		1	2	1	4
5 ख		1	2	3	6
पैरवी अधिकारी (ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट)	–	6	–	–	6
डाक कर्तव्य	–	–	–	3	3
चालक एवं संचालक	–	–	2	2	4
वीआरके स्टाफ	–	1	1	2	4
कुल	3	12	17	19 (03 –महिलाएं)	51 (03 –महिलाएं)

पुलिस स्टेशन एंटी–नारकोटिक्स टास्क फोर्स (पीएस–एएनटीएफ) के कार्य

(क) कानून के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन एएनटीएफ को पुलिस स्टेशन की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह एनडीपीएस अधिनियम और संबद्ध कानूनों के प्रावधानों के अनुसरण में, स्रोत सूचना, खुफिया जानकारी, शिकायतों या अन्य एजेंसियों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर सीधे नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों को दर्ज करेगा और उनकी जांच करेगा।

(ख) पुलिस स्टेशन एएनटीएफ, क्षेत्रीय अभियानों, तकनीकी निगरानी, डेटा विश्लेषण, वित्तीय खुफिया जानकारी और डिजिटल निगरानी के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी उत्पन्न करने, एकत्र करने, विश्लेषण करने और विकसित करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें उभरते मादक पदार्थों के रुझान और तस्करी के तरीके शामिल हैं।

(ग) पुलिस स्टेशन एएनटीएफ, लोक अभियोजकों और विशेष लोक अभियोजकों के समन्वय से एनडीपीएस मामलों के अभियोजन की बारीकी से निगरानी करेगा, जिससे समय पर आरोपपत्र दाखिल करना, प्रभावी ढंग से मुकदमे चलाना, अदालत के निर्देशों का अनुपालन और दोषसिद्धि परिणामों में सुधार के लिए व्यवस्थित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

(घ) पुलिस स्टेशन एएनटीएफ, एनडीपीएस अधिनियम, माननीय न्यायालयों के स्थायी आदेशों और निर्देशों के अनुसार, एनडीपीएस मामले की संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा, उचित नमूनाकरण, भंडारण, आवागमन और निपटान सुनिश्चित करेगा, ताकि प्रक्रियात्मक, साक्ष्य संबंधी और कानूनी चूक को कम किया जा सके।

ड़) पुलिस स्टेशन एएनटीएफ को एफआईआर रजिस्टर, केस डायरी, संपत्ति रजिस्टर, खुफिया रिकॉर्ड, व्यक्तिगत फाइलें, अपराधियों के डोजियर, डिजिटल साक्ष्य रिकॉर्ड और अन्य वैधानिक रजिस्टरों सहित पुलिस स्टेशन के सभी रिकॉर्ड और डेटाबेस को भौतिक और डिजिटल दोनों रूपों में पूर्ण और अद्यतन रखना होगा।

(च) पुलिस स्टेशन एएनटीएफ प्रवर्तन कार्रवाइयों, अभियोजन स्थिति, वित्तीय जांच, निवारक उपायों और जागरूकता गतिविधियों से संबंधित आवधिक रिपोर्टों के संकलन, विश्लेषण और प्रस्तुति के लिए नोडल इकाई के रूप में कार्य करेगा और निर्धारित अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस मुख्यालय को ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

(छ) एनडीपीएस से संबंधित मामलों में न्यायालयों द्वारा जारी किए गए समन, वारंट, राष्ट्रीय वारंट, उद्घोषणाओं और कुर्की आदेशों के निष्पादन के लिए एएनटीएफ पुलिस स्टेशन उत्तरदायी होगा।

(ज) पुलिस स्टेशन एएनटीएफ, एकीकृत प्रवर्तन रणनीति के हिस्से के रूप में, सक्षम अधिकारियों के समन्वय से, एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय V-ए के अन्तर्गत वित्तीय जांच, संपत्ति का पता लगाने, कुर्की और अपराध की आय की जब्ती का कार्य करेगा।

(झ) पुलिस स्टेशन एएनटीएफ नशीले पदार्थों और मनः प्रभावी पदार्थों के प्रभावी प्रवर्तन, रोकथाम और नियत्रण को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करेगा।

HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT BRANCH: HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th May, 2026

F. No. 1/2/2026/HP-I/Estt./1413-1419.— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978) read with Section 2(1)(u) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, and Ministry of Home Affairs, Govt. of India's Notification No. S.O. 2506(E), dated 28th June, 2024 (F. No. U-11030/3/2024-UTL), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, with a view to strengthening enforcement against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, hereby direct and declare as under :

1. Constitution of Anti-Narcotics Task Force Police Station:

(1) A Police Station to be known as "Police Station Anti-Narcotics Task Force (PS-ANTF)" is hereby established under the Crime Branch, Delhi Police, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(2) The jurisdiction of the Police Station Anti-Narcotics Task Force (PS-ANTF) shall extend to the entire National Capital Territory of Delhi.

(3) The said Police Station shall exercise all powers and perform all duties of a Police Station as defined under Section 2(1)(u) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, including the power to:

(a) register First Information Reports and investigate offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances;
(b) investigate offences punishable under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, and other applicable laws;
(c) undertake financial investigation, tracing of proceeds of crime, and attachment or forfeiture of illegally acquired property under Chapter V-A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and other applicable laws; and
(d) carry out such enforcement, preventive, investigative and intelligence-related functions relating to narcotics offences as may be assigned in accordance with law.

2. The Police Station Anti-Narcotics Task Force (PS-ANTF) shall function under the administrative and operational control of the Crime Branch, Delhi Police and shall be staffed and organised in accordance with the structure specified in Annexure-I to this notification or as may be determined by the Commissioner of Police, Delhi from time to time.

3. The place of functioning of the Police Station Anti-Narcotics Task Force (PS-ANTF) shall be notified separately by the Commissioner of Police, Delhi and meanwhile operate from an existing ANTF, Delhi Police building.

4. Nothing contained in this notification shall affect the validity of any investigation, proceeding or action already taken under the relevant provisions of law prior to the publication of this notification.

By Order and in the Name of the
Hon'ble Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi,

RAMESH KUMAR, Dy. Secy. (Home)

ANNEXURE-I

The Anti-Narcotics Task Force (ANTF) Police Station shall exercise the powers of a Police Station as defined in Section 2(1) (u) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. An officer of the Rank of Inspector shall be appointed as the Station House Officer, assisted by Police personnel and the functional components of the said PS are as follows:

Anti-Narcotics Task Force (ANTF) Police Station					
	SIs	ASIs	HCs	Constable	Total
Reader Staff	1	-	1	1	3
Duty Officer & DD Writer	-	3	-	3 -Women	6 (03 Women)
CCTNS-Operators	-	-	-	2	2
Malkhana (GP)	1	-	3	1	5
Malkhana (CP)	1	-	6	1	8
Record Branch		1	2	1	4
5B		1	2	3	6
Pairvi Officer (Trial Court & High Court)	-	6	-	-	6
Dak Duty	-	-	-	3	3
Driver & Operator	-	-	2	2	4
VRK Staff	-	1	1	2	4
Total	3	12	17	19 (03 Women)	51 (03 Women)

Functions Of the Police Station Anti-Narcotics Task Force" (PS-ANTF)

a) The Police Station ANTF shall have full powers of a Police Station under law and shall directly register and investigate narcotics-related cases on the basis of source information, intelligence inputs, complaints, or references from other agencies, in accordance with the provisions of the NDPS Act and allied laws.

b) The Police Station ANTF shall be responsible for generation, collection, analysis, and development of actionable intelligence relating to narcotics trafficking through field operations, technical surveillance, data analysis, financial intelligence, and digital monitoring, including emerging drug trends and trafficking methods.

c) The Police Station ANTF shall closely monitor the prosecution of NDPS cases in coordination with Public Prosecutors and Special Public Prosecutors, ensuring timely filing of charge-sheets, effective conduct of trials, compliance with court directions, and systematic follow-up to improve conviction outcomes.

d) The Police Station ANTF shall ensure safe custody, proper sampling, storage, movement, and disposal of NDPS case property, strictly in accordance with the NDPS Act, Standing Orders, and directions of the Hon'ble Courts, so as to minimize procedural, evidentiary, and legal lapses.

e) The Police Station ANTF shall maintain complete and up-to-date police station records and databases, including FIR registers, case diaries, property registers, intelligence records, personal files, dossiers of offenders, digital evidence records, and other statutory registers, both in physical and digital form.

f) The Police Station ANTF shall function as the nodal unit for compilation, analysis, and submission of periodic reports relating to enforcement actions, prosecution status, financial investigations, preventive measures, and awareness activities, and shall submit such reports to Senior Officers and PHQ as prescribed.

g) The Police Station ANTF shall be responsible for the execution of summons, warrants, NBWs, proclamations, and attachment orders issued by Courts in NDPS-related cases.

h) The Police Station ANTF shall undertake financial investigation, asset tracing, attachment, and forfeiture of proceeds of crime under Chapter VA of the NDPS Act, in coordination with competent authorities, as part of an integrated enforcement strategy.

i) The Police Station ANTF shall perform **any other function assigned by PHQ or Senior Officers** in furtherance of effective enforcement, prevention, and control of narcotics and psychotropic substances.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA